प्रेषक,

डा० धर्मेन्द्र कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-06, वाराणसी।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय: द्वितीय नेशनल जुडीशियल कमीशन के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 140/दो-4-2024-45 (1) 2020 टी. सी. दिनांक 28 फरवरी 2024 में अनुमन्य किये गये उच्च योग्यता भत्ता हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि दिनांक 15.10.2019 को प्राप्त किये जाने की तिथि से एक और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

द्वितीय नेशनल जुडीशियल कमीशन के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 140/दो-4-2024-45(1) /2020 टी.सी. दिनांक 28 फरवरी 2024 में अनुमन्य किये गये उच्च योग्यता भत्ता के संबंध में सादर निवेदन है कि शासनादेश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी दिनांक 09-07-2018 से अब तक लगातार पी०सी०एस० जे० सेवा में है। अधोहस्ताक्षरी को कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि विधि संकाय , लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.10.2019 को प्रदान की गयी थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त होने पर अपनी डाक्ट्रेट डिग्री को न्यायिक सेवा में अपने अभिलेख में रखे जाने हेतु आनलाइन आवेदन किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस आई०डी० S00005382020 OID CASE ID: 833 एम्पालाय नं० 2585 को आनलाइन अप्रूव करके अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु उच्च योग्यता भत्ता अभी तक प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि द्वितीय नेशनल जुडीशियल कमीशन के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं उ०प्र० सरकार के शासनादेश संख्या 140/दो-4-2024-45(1) /2020 टी.सी. दिनांक 28 फरवरी 2024 में अनुमन्य किये गये उच्च योग्यता भत्ता के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को कानून में डाक्ट्रेट की उपाधि दिनांक 15.10.2019 को प्राप्त किये जाने की तिथि से एक और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

सादर,

दिनांक- 28.06.2024

Office of the District Judge Varanasi
No. 1388/I Date 28.06.2024
Forwarded.

District Judge
Varanasi
28.06.2024

आवेदक

डा० धर्मेन्द्र कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-06, वाराणसी।
J.O Code- UP2585

संलग्नक 1- कानून में डाक्ट्रेट डिग्री की स्व प्रमाणित छायाप्रति।

2- न्यायिक सेवा अभिलेख में कानून की डिग्री को रखे जाने की आनलाइन आवेदन के अप्रूव की स्व प्रमाणित प्रति।